

2014/00327

C.B.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

वाद/प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
69/2014	1BB RTA	बारां	EP95
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
उमराव	बनाम	मांज/लाउ	
अभिभावक वादी	उपस्थिति	अभिभावक प्रतिवादी	
श्री नारायणलाल शेरचिप 03			
प्रविष्टि दिनांक	निर्णय दिनांक	दाखिला दफ्तर	पृष्ठ संख्या
4.6.14	30/6/15		
कार्यवाही दिनांक			
सम्पन्न तारीखी	जवाब वाद/प्रार्थना पत्र	विवाद्यक निर्धारण	विविध प्रार्थना पत्र
7.7.14 24.6.15 6857 क.नं. 104	25.8.14		30/6/15 वादी का अर्ज का रिप्लाय का अर्ज का
साक्ष्य वादी	साक्ष्य प्रतिवादी	बहस	
अंतरिम एक पक्षीय निवेधाज्ञा		प्राथमिक डिक्री	
स्थगन वादी	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	स्थगन प्रतिवादी	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
			Total 29

डिक्री

69/14	धारा अंतर्गत 188 RTA	निर्णय दिनांक 30/6/15
श्री विमल लाल मीरा RAS		
अभिभाषक वादी		अभिभाषक प्रतिवादी

वाद शीर्षक

राजस्व लोक अदालत
कैम्प कोर्ट

प्रेम वई कुत्री मोमीलाल पति मदन लाल जाति लोपा रा. वापचा 8-6-87
1/2

- (1) मोमीलाल 80 प्रभू (2) मदनलाल कुत्री (3) गेन्द्यालाल कुत्री, (4) मोहनलाल कुत्री
(5) भागवतीवई कुत्री मोमीलाल (6) सुनीवई कुत्री (7) कन्यावई कुत्री पत्नी मोमीलाल
सहाय जाति लोपा गिवादीगण वापचा
(8) सरकार जी तहसीलदार 8-6-87

(उतिवादीगण)

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

राजस्व लोक अदालत के-1 कोर्ट - मुकाम - वापचा पत्र मंत्रमे आध पत्रकी
करी हुई, वादीया का वाद (किसार दिया, पेटक आराजी ग्राध वापचा
स्वाता सं. 282/272 स्व. नं. 294/15, 466/762, 6.00, 1.10, कुल 2 सित. रकबा म. 10 वीण स्व
स्वाता सं. 169/180 स्व. नं. 437/109 सि. सि. 1/2 एवं स्वाता सं. 252/244 के स्व. नं. 437/3108 में
हिस्सा 1/2 स्वाता सं. 252/244 के स्व. नं. 437/3108 के हिस्सा 1/2 से स्वाता सं.
124/173 स्व. नं. 437/2, 3109, 2 सि. सि. 1/2 स्वाता सं. 135/139 स्व. नं. 437/3 रकबा -
उवीधत 09 सि. सि. 1/2 सि. सि. 1/2 उतिवादीगण वादीगण के गिता का कन्ज करतले,
अतः उतिवादी क. प्र. स. 1 को जमे स्वाधी निषेधाला से पावन्द दिया जाता
है कि वादीया के प्रिहित हिस्से पर दखल खान्दारी कही करे। निर्णय
मंत्रमे आध सुनाया गया तदनुरूप डिक्री परचा जारी विका।

साथ ही निम्नानुसार..... रु. का व्ययानुतोष..... द्वारा..... को प्रदान किया जाए
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक..... 30/6/15..... को निर्गत किया गया।

30/6/15

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा उपखण्ड मजिस्ट्रेट (राज.)
छबड़ा

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	व्याज(%)		
	योग		